


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
// आदेश //

क्रमांक. C/7305 /
चार-12-14/80 भाग-दो-जी

जबलपुर, दिनांक 18/10/2024

श्री अरुण कुमार मिश्रा, सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(सी) 13/94/21-ब (एक) दिनांक 06.10.1995, दिनांक 17.05.2005, 22-06-2011, आदेश क्रमांक 3632/21-ब (एक) भोपाल, दिनांक 29-12-2014 एवं आदेश क्रमांक 17 (ई)38/2014/21-ब (एक) 976 भोपाल, दिनांक 08-04-2015 में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 03.10.2024 से वाहन भत्ता रूपये 1000/- (रूपये एक हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से स्वीकृत किया जाता है।



(धरमिन्दर सिंह)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/7306 /
चार-12-14/80 भाग-दो-जी
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 18/10/2024

1. रजिस्ट्रार, प्रशासन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
2. डिप्टी रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.) स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री अरुण कुमार मिश्रा, सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(एम.व्ही.आर. बालाजी शर्मा)
डिप्टी रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस.
E